

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०

राज्यपाल ने प्रदेश के नये लोकायुक्त के चयन हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया

लखनऊ: 28 जनवरी, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने प्रदेश के नये लोकायुक्त के चयन हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है और दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह यादव को लोकायुक्त नियुक्त किये जाने का अपना आदेश वापस ले लिया गया है।

श्री नाईक ने जारी एक बयान में कहा है कि 'मैंने मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश का हमेशा सम्मान किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तिगण श्री राजन गोगोई तथा श्री पी० सी० पन्त की खण्डपीठ द्वारा आज न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किये जाने के लिये पारित किये गये आदेश का मैं सम्मान करता हूँ।

अंजुम/ललित/राजभवन(34)